

(राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार-पत्रों/टी वी में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाईडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन का नाम : विधानसभा चुनाव 2018

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम : छत्तीसगढ़

1.	2.	3.	4.	5.		
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख	अपराध (धों) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण
1.	ननकी राम कंवर	रामपुर वि.स. क्षेत्र कं. 20	श्रीमान् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोरबा दांडिक प्रकरण के 799/2013 उक्त प्रकरण में दिनांक 18.08.2014 को निर्मित अपराध विवरण के विरुद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील, जिसका क्रमांक CRMP14/2015 है प्रस्तुत किये जाने के कारण कार्यवाही स्थगित है ।	दांडिक प्रकरण कं. 799/2013 धारा 126 (2) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951	18//8/2014	हाँ
2.	अनुराग सिंह देव	अंबिकापुर वि. स. क्षेत्र कं. 10	श्रीमान् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर	अप.कं. 242/ 2018 धारा 147, 341, 34	नहीं	नहीं

3.	रामदयाल उइके	पाली तानाखार वि. स. क्षेत्र कं. 23	1. कार्यपालिक दंडाधिकारी जिला कोरबा 2. कार्यपालिक अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर	प्रकरण कं. 241/2018 इशतगासा कं. 94/351/2018 इशतगासा कं. 190/318/2018	नहीं नहीं	नहीं नहीं
4.	बृजमोहन अग्रवाल	रायपुर नगर दक्षिण वि.स. क्षेत्र कं. 58	श्रीमान् भावेश भट्टी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रायपुर	प्रकरण कं. 4296/2018 धारा 147, 294 एवं 323 भा.द.वि.	लंबित	नहीं
5.	अंबेश जांगड़े	पामगढ़ वि.स. क्षेत्र कं. 38	श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट पामगढ़	50/177 मोटर यान अधिनिय भा.दं. सं. 252 मोटर दुर्घटना रु. 100/- अर्थदंड	नहीं	नहीं
6.	लखनलाल देवांगन	कटघोरा वि. स. क्षेत्र कं. 22	विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति/जनजाति कोरबा	प्रकरण कं. 993/2003 धारा 294, 452, 323/34 भा.दं.वि. 3 (1), (10) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989	दोष मुक्त आदेश दिनांक 11 जुलाई 2013	दोष मुक्त आदेश दिनांक 11 जुलाई 2013
7.	शिवरतन शर्मा	भाटापारा वि. स. क्षेत्र कं. 46	रेल्वे मजिस्ट्रेट रायपुर	प्रकरण कं. 4312/12 अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत धारा 311 दं. प्र.स. के आवेदन पर आदेश हेतु पर नियत है । रेल्वे एक्ट धारा 145 (सी), 146, 147, 174 (ए)	नहीं	नहीं

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रपत्र-सी 2 में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी



(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

